

आवंटनादेश

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी

श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, /छपरा

सहायक श्रमायुक्त, सहरसा/डालमियानगर(रोहतास)

श्रम अधीक्षक, बेगूसराय/वैशाली(हाजीपुर)/मधुबनी

पटना, दिनांक :- 31.3.15

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष -0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 1666 दिनांक 18.06.14 के आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 31 मार्च, 2015 तक व्यय के निमित्त संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन कुल ₹ 1,65,600 (₹ एक लाख पैंसठ हजार छः सौ) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-253/वि०(2)दिनांक-11.3.14, पत्रांक-687/वि०दिनांक-24.07.14, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करा दी जाय । अन्यथा विलम्ब के लिए आप जिम्मेवार होंगे ।
5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।
6. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा द्वारा किया जायेगा ।

विश्वासभोजन,

(अजय कुमार चौधरी)

श्रमायुक्त, बिहार 30/3/15

ज्ञापांक:-6/एफ1-307/2014 श्र0सं0-

114

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

पटना, दिनांक 31.3.15

(अजय कुमार चौधरी)

श्रमायुक्त, बिहार 30/3/15

ज्ञापांक:-6/एफ1-307/2014 श्र0सं0-

114

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त, प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 को उनके गै०स०प्रे०सं०-54 एवं 58 (श्रम पक्ष) दोनों दि.-26.3.15 के आलोक में) /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 31.3.15


(अजय कुमार चौधरी)

श्रमायुक्त, बिहार ।

विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-1666 दिनांक 18.06.2014 के आलोक में आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड पी 2230011030103) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 31 मार्च, 2015 तक व्यय के निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	बच्चे की संख्या	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01) ₹ 1500/- राशन एवं ₹ 300/- वस्त्र हेतु प्रति बाल श्रमिक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	उप श्रमायुक्त, छपरा	04	7200	
2	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	29	52200	
3	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास)	17	30600	भभुआ (कैमूर) (17बाल श्रमिक के लिए)
4	श्रम अधीक्षक, बेगूसराय	01	1800	-
5	श्रम अधीक्षक, वैशाली (हाजीपुर)	20	36000	-
6	श्रम अधीक्षक, मधुबनी	21	37800	-
	कुल योग	92	165600	-

कुल आवंटित अतिरिक्त राशि ₹1,65,600 (₹ एक लाख पैसठ हजार छः सौ) मात्र ।


(अजय कुमार चौधरी)
श्रमायुक्त, बिहार ।
20/3/15